(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य.

निगरानी प्रकरण कमांक 619–दो/2001 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 29–12–2000 – पारित व्दारा अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण कमांक 4/1998–99 पुनरावलोकन

1– गोविन्द प्रसाद पुत्र विद्याधर
2– श्रीमती भूरीवाई(मृतक) पत्नि विद्याधर
वरिस
अ– गोविंद प्रसाद मिश्रा पुत्र विद्याधर
ग्राम सहिलवारा तहसील गुन्नौर
जिला पन्ना म0प्र0
ब– रामअवतार मिश्रा पुत्र विद्याधर
स– सुदर्शन प्रसाद पुत्र विद्याधर मिश्रा
निवासी ग्राम रेहगढ़ तहसील देवेन्द्रनगर
जिला पन्ना मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रभावती पत्नि स्व.मोहनलाल
2– राजकिशोर पुत्र स्व.मोहनलाल
3– ज्ञानवाई पुत्री स्व. मोहनलाल
4– हल्कू पुत्र स्व.मोहनलाल
5– भगवानदास पुत्र गयादीन
सभी निवासी ग्राम साहिलवारा
तहसील गुन्नौर जिला पन्ना --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक आर0डी0शर्मा)

आ दे श
(आज दिनॉक 5–9–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 4/1998–99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 29.12.2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी के प्रकरण कमांक 131/अ-6/96-87 में पारित आदेश दिनांक 6-9-87 से विकय पत्र के आधार पर मोहनलाल एंव भगवानदीन का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध बंदोवस्त अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील कमांक 51 अ-6/1990-91 प्रस्तुत हुई। बंदोवस्त अधिकारी पन्ना ने आदेश दिनॉक 28-4-1991 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 66/1990-91 प्रस्तुत हुई। अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने आदेश दिनॉक 28-10-1998 पारित किया तथा अपील निरस्त कर दी। अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 66/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28-10-1998 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 4/1998-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 29.12.2000 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार योग्य है कि प्रकरण कमांक 66/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28-10-1998 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन को निरस्त करने हेतु अपर बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने आदेश दिनांक 29-12-2000 में यह आधार लिया है

कि इस आदेश का पुनरावलोकन इसलिये नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में अन्य अपील प्रकरण कमांक 33/1993-94 में पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन होकर अंतरिम आदेश दिनांक 18-2-2000 से स्थगन है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 (2) में प्रावधान है कि किसी भी आदेश का, जिसकी कि अपील की गई है या जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्यवाहियों का विषय है, उस समय तक पुर्नविलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाहियॉ लम्बित हैं। विचाराधीन प्रकरण की भी यही स्थिति है और इन्हीं कारणों से अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 4/1998-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 29.12.2000 से आदेश दिनॉक 28-10-1998 का पुनरावलोकन नहीं किया है एंव पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ब्दारा प्रकरण कमांक 4/1998-99 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 29.12.2000 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर